न्यूट्रल साइटेशन
2022:सीजीएचसी:8258

ए०एफ०आर०

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

डब्लू०पी०सी०आर० न० 131/2020

1. गौतम कुंडू पुत्र स्वर्गीय श्री निर्मल कुंडू की आयु लगभग 52 वर्ष, आर/ओ 71, जेसोर रोड (दक्षिण), आशाबारी अपार्टमेंट, बारासात, 24 परगना (उत्तर), पश्चिम बंगाल, वर्तमान में अधीक्षक, प्रेसीडेंसी सुधार गृह, राष्ट्रीय पुस्तकालय के पास, अलीपुर, कोलकाता–27 (डब्ल्यू. बी.), जिलाःकोलकाता, पश्चिम बंगाल

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, गृह विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ ।
2. छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
3. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा निदेशक, प्लॉट संख्या 15 बी, छठी मंजिल, सी. डी. जी. परिसर, लोधी रोड, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मार्ग, नई दिल्ली, जिलाःनई दिल्ली, दिल्ली
4. प्रवर्तन निदेशालय द्वारा निदेशक, पुजारी परिसर, ए–1 ब्लॉक, दूसरी मंजिल, पचपेड़ी नाका, रायपुर, जिलाःरायपुर, छत्तीसगढ़
5. स्टेशन हाउस ऑफिसर पुलिस स्टेशन बांदे, जिला कांकेर, जिलाःकांकेर, छत्तीसगढ़
6. स्टेशन हाउस ऑफिसर पुलिस स्टेशन बेमेतरा, जिलाःबेमेतरा, छत्तीसगढ़
7. स्टेशन हाउस ऑफिसर पुलिस स्टेशन कवर्धा, जिलाःकवर्धा (कबीरधाम), छत्तीसगढ़
8. स्टेशन हाउस ऑफिसर पुलिस स्टेशन तोरवा, जिलाःबिलासपुर, छत्तीसगढ़
9. स्टेशन हाउस ऑफिसर पुलिस स्टेशन गांधीनगर, जिलाःसरगुजा (अंबिकापुर), छत्तीसगढ़
10. स्टेशन हाउस ऑफिसर पुलिस स्टेशन बाल्को नगर, जिलाःकोरबा, छत्तीसगढ़
11. स्टेशन हाउस ऑफिसर पुलिस स्टेशन बैकुण्ठपुर, जिलाःकोरिया(बैकुण्ठपुर), छत्तीसगढ़
12. स्टेशन हाउस ऑफिसर पुलिस स्टेशन रामानुजगंज, जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़।

---- उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता के लिए–श्री रवीन्द्र शर्मा, अधिवक्ता ।
राज्य–प्रतिनिधियों के लिए–श्री अनिमेष तिवारी, डिप्टी ए. जी.

माननीय श्री न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी
बोर्ड पर आदेश

12 .04.2022
सुना गया है ।

1. याचिकाकर्ता कंपनी के निदेशकों में से एक द्वारा तत्काल याचिका

दायर की गई है जिसमें एक विशेष स्थान पर एक अदालत में संयुक्त मुकदमे के लिए विभिन्न पुलिस स्टेशनों के समक्ष लंबित विभिन्न मामलों/एफ.आई. आर./शिकायतों को समेकित करने का निर्देश देने की मांग की गयी है ।

2. मामले के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता रोज वैली ग्रुप ऑफ कंपनीज के निदेशक/अध्यक्ष थे, जिसे उनके द्वारा वर्ष 1997 में कोलकाता में स्थापित किया गया था । इसके बाद, रोज वैली होटल एंड एंटरटेनमेंट लिमिटेड नामक सहायक कंपनी 1997 में कंपनी अधिनियम के तहत अस्तित्व में आई । याचिकाकर्ता को उक्त कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था । इसके बाद, वर्ष 1999 में याचिकाकर्ता की अध्यक्षता में रोज़ वैली रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के नाम से एक और कंपनी का गठन किया गया, जिसने रियल एस्टेट व्यवसाय यानी भूखंडों की बिक्री और विकास आदि में प्रवेश किया । रोज वैली ग्रुप ऑफ कंपनीज की छत के नीचे कई कंपनियों का गठन किया गया और इसकी शाखाएं 21 राज्यों में फैली हुई थीं । कंपनी ने व्यवसाय के विकास के लिए "टाइम शेयर स्कीम" और "आर्शीवाद स्कीम" नामक विभिन्न योजनाएं शुरू की । टाइम शेयर योजना के तहत, इसके सदस्यों को सदस्यता लाभ की पेशकश की गई थी और सदस्यता का लाभ या तो एक बार भुगतान करके या आवधिक निश्चित किश्तों का भुगतान करके लिया जा सकता है और निश्चित अवधि समाप्त होने पर, सदस्य या तो आरवीएचईएल के होटलों में उन्हें दिए गए लाभों का लाभ उठाने के हकदार हैं या अपने निवेश की वापसी के लिए पूछ सकते हैं, जिसे ब्याज के साथ वापस किया जाएगा । इसी तरह, आशीर्वाद योजना के तहत, अभिदाता एकमुश्त या समान आवधिक किश्तों का भुगतान कर सकते हैं और निश्चित अवधि की समाप्ति पर, वे या तो भूखंडों की खरीद पर दिए जा रहे लाभों का लाभ उठाने के हकदार हैं या वे ब्याज के साथ निवेश की वापसी के लिए कह सकते हैं ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. छत्तीसगढ़ राज्य में, दो कंपनियों रोज वैली होटल एंड एंटरटेनमेंट लिमिटेड और रोज वैली रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने व्यवसाय शुरू किया और पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में फैल गई और विभिन्न राशियों का लाभ उठाया । विभिन्न हितधारकों से इस वादे पर धन एकत्र किया गया था कि एक निश्चित समय के बाद धन को उच्च ब्याज दर के साथ बढ़ाया जाएगा । इस प्रकार इस तरह के आश्वासन के साथ, विभिन्न निवेशकों से राशि एकत्र किए गए जो राज्य के विभिन्न जिलों यानी बलरामपुर, कांकेर, कोरबा, बेमेतरा, बिलासपुर, कवर्धा, जगदलपुर (जिला बस्तर), सरगुजा, बैकुण्ठपुर (जिला कोरिया) आदि के निवासी है । परिपक्वता अवधि तक पहुँचने के बाद, विभिन्न निवेशक ब्याज के साथ पैसा वापस पाना चाहते थे । हालांकि, जब पैसा वापस पाने के उनके प्रयास विफल हो गए, तो अंततः निवेशकों द्वारा राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रथम सूचना पत्र दर्ज की गई ।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि चूंकि विभिन्न स्थानों पर याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर विभिन्न प्रथम सूचना पत्र में लगाए गए आरोपों की प्रकृति समान है, इसलिए विभिन्न स्थानों पर अलग–अलग मुकदमे याचिकाकर्ता के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करेंगे, इसलिए उक्त मामलों को एक विशेष अदालत के

समक्ष संयुक्त मुकदमे के लिए समेकित किया जाये । यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता पिछले 05 वर्षों से जेल में है और उसके लिए विभिन्न अदालतों में सुनवाई की प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होना बेहद मुश्किल होगा ।

5. राज्य की ओर से जवाब दाखिल किया गया है । राज्य के विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में निवेशकों को ठगा है और जमा के प्रत्येक लेनदेन में अलग–अलग समझौते होते हैं, जिन्हें क्षेत्र के स्थानीय निवासियों द्वारा साबित करने की आवश्यकता होती है और जो लोग पैसे जमा करते हैं, उनके लिए किसी विशेष दूरी के स्थान की यात्रा करना बेहद मुश्किल होगा और अंततः इसके परिणामस्वरूप पीड़ितों के लिए निष्पक्ष सुनवाई से वंचित होना होगा ।

6. मैंने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और दस्तावेजों का अध्ययन किया है।

7. याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई प्राथमिक राहत यह है कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में उसके खिलाफ दर्ज विभिन्न मामलों को एक विशेष स्थान पर अदालत में संयुक्त मुकदमे के लिए समेकित किया जाए । राज्य के जवाब से पता चलता है कि राज्य के विभिन्न हिस्सों से ज्यादातर मध्यम वर्ग के लोगों से बड़ी राशि एकत्र की गई थी, जिन्होंने अधिक ब्याज के साथ इसे वापस पाने की उम्मीद में पैसा लगाया था और उनके सपने चकनाचूर हो गए थे ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. प्राथमिक मूल्यांकन पर, याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना तार्किक प्रतीत होती है, लेकिन जब हम इसमें जाते हैं तो तस्वीर अन्यथा होती है और इसे एक एकल अपराध नहीं कहा जा सकता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को कंपनी में धन निवेश करने के लिए एक अलग वादे के साथ राजी किया गया होगा । इसलिए, जमाकर्ताओं का विश्वास हासिल करने के लिए, झूठे वादे किए गए होंगे जो अंततः भुगतान न करने से निकल रहे हैं ।

9. उच्चतम न्यायालय ने **नरिंदरजीत सिंह साहनी बनाम भारतीय संघ** (2002) 2 एस. सी. सी. 210 मामले में इसी तरह के एक मुद्दे पर विचार किया है और कहा है कि प्रत्येक व्यक्तिगत जमा समझौते को वित्तीय कंपनियों के प्रलोभन द्वारा लाए गए अलग और व्यक्तिगत लेनदेन के रूप में माना जाना चाहिए था, क्योंकि पक्ष अलग–अलग हैं, जमा की राशि अलग–अलग है और साथ ही उस अवधि के लिए भी जिसके लिए जमा किया गया था । इसमें स्वतंत्र लेन–देन की सभी विशेषताएं हैं और न्यायालय को इसे अन्यथा रखने के लिए कोई सम्मोहक कारण देखने की आवश्यकता नहीं है । अदालत ने आगे कहा कि अगर हमारे जैसे देश में किसी आरोपी पर लाखों देशवासियों को धोखा देने का आरोप लगाया जाता है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन की बचत को आरोपी द्वारा प्रचारित ऐसी काल्पनिक और तुच्छ कंपनियों में निवेश किया है और जब देश के विभिन्न हिस्सों में किसी आरोपी के खिलाफ हजारों मामले लंबित हैं, तो क्या कोई आरोपी अनुच्छेद 21 के उल्लंघन की शिकायत इस आधार पर कर सकता है कि उसे विभिन्न अदालतों द्वारा जारी किए गए विभिन्न प्रोडक्सन वारंटों को देखते हुए जेल

हिरासत से रिहा नहीं किया जा रहा है । अदालत द्वारा प्रोडक्सन वारंट जारी करना और अदालत में आरोपी को पेश करना, उन मामलों में जहां वह शामिल है, कानून द्वारा स्थापित एक प्रक्रिया है और इसके परिणामस्वरूप, आरोपी को अनुच्छेद 21 के तहत अपने अधिकार के उल्लंघन की शिकायत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है । यह आगे देखा गया है कि यह ऐसे सफेदपोश अभियुक्त व्यक्तियों के प्रति अदालत की गलत सहानुभूति होगी जिनके अपराध और चूक के कृत्यों ने इस देश के अधिकांश गरीब नागरिकों को बर्बाद कर दिया है । इसके अलावा याचिकाकर्ता द्वारा किसी विशेष न्यायालय में संयुक्त आम सुनवाई के लिए मामलों को समेकित करने के लिए उठाया गया कदम भी संदेह से परे है कि याचिकाकर्ता निष्पक्ष सुनवाई को पटरी से उतारना चाहता है । यह स्पष्ट है कि मध्यम वर्ग के लोग जिन्होंने राज्य के विभिन्न स्थानों पर कंपनी में राशि का निवेश किया है, वे अपने स्थानीय न्यायालय के बजाय किसी विशेष न्यायालय के समक्ष गवाही देने के लिए आगे नहीं आ सकते हैं जो बदले में याचिकाकर्ता के लिए फायदेमंद होगा । याचिकाकर्ता द्वारा की गई सी. बी. आई. जांच की मांग बिना किसी आधार के प्रतीत होती है, इसके बजाय, याचिकाकर्ता के पूरे प्रयास न्याय की विफलता को प्रोत्साहित करते प्रतीत होते हैं, जिसकी अनुमति नहीं दी जाएगी ।

10. परिणामस्वरूप तत्काल याचिका में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
गौतम भादुरी
न्यायाधीश

HEAD–LINES

In case of alleged deceit of millions of people by a Chit Fund Company against which large number of cases are pending at different places, the single trial cannot be ordered by consolidating the cases on the ground of infraction of right under Article 21 of the Constitution.

एक चिटफंड कंपनी द्वारा लाखों लोगो से किये गए कथित प्रवंचना (धोखाधड़ी) के मामले में, जिसमें ऐसे कंपनी के विरूद्ध अलग–अलग स्थानों पर बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित है, इस आधार पर कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतगर्त अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, समस्त प्रकरणों को समेकित कर एकल विचारण का आदेश नहीं दिया जा सकता है ।

न्यूट्रल साइटेशन
2022:सीजीएचसी:8258

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur